न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 198/2008(85/2013)

1. रामगोपाल उम्र 65 वर्ष पुत्र रामरिछपाल जाति जांगीड़ ब्राहमण निवासी महनसर तहसील मलसीसर (दौराने दावा मृतक)
   - 1.1 राजेश उम्र 50 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति जांगीड़ ब्राहमण निवासी महनसर
   - 1.2 जगदीश उम्र 47 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति जांगीड़ ब्राहमण निवासी महनसर
   - 1.3 कमल उम्र 44 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति जांगीड़ ब्राहमण निवासी महनसर
   - 1.4 पवन उम्र 36 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति जांगीड़ ब्राहमण निवासी महनसर
   - 1.5 श्रीमति गीता देवी उम्र 70 वर्ष पत्नी रामगोपाल जाति जांगीड़ ब्राहमण निवासी महनसर
   - 1.6 मु. सरोज उम्र 41 वर्ष पुत्री रामगोपाल जाति जांगीड़ ब्राहमण निवासी महनसर
2. दुर्गादत्त उम्र 60 वर्ष पुत्र निवास जाति जांगीड़ ब्राहमण निवासी महनसर
3. प्रभात उम्र 48 वर्ष पुत्र निवास जाति जांगीड़ ब्राहमण निवासी महनसर

आवेदक

बनाम

1. कानसिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र रूधवीरसिंह जाति राजपूत निवासी महनसर तहसील मलसीसर
2. रूपसिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र रूधवीरसिंह जाति राजपूत निवासी महनसर तहसील मलसीसर
3. झाबरसिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र रूधवीरसिंह जाति राजपूत निवासी महनसर तहसील मलसीसर
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 22.03.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम महनसरकी सरहद में भूमि खसरा नम्बर 753 तादादी 1.60 है0, ख0न0 773 तादादी 0.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 है0 भूमि अवस्थित है जो गत ख0न0 284/532 तादादी 7 बीधा 10 बिश्वा वाके ग्राम महनसर से बने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने के पहले से ही इस जमीन के खातेदार काश्तकार वादी के पूर्वज रहे है। इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादीगण ही इसके खातेदार काश्तकार हुये। इसी भूमि से सटकर वादीगण की खातेदारी के खेत ख0न0 754 तादादी 0.72 है0, ख0न0 771 तादादी 0.55 है0 व ख0न0 772 तादादी 0.10 है0 भूमि स्थित है। वादीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 754, 771, 772 व ख0न0 753, 773 के मध्य कोई सींव डोल नहीं है। अर्थत ख0न0 753 व ख0न0 754, 771 की तथा ख0न0 773 व ख0न0 772 की जमीन आपस में मिली हुई है। इस जमीन की खसरा गिरदावरीयों में उक्त नोरंग व निवास की काश्त दर्ज है, जिससे जमीन जेर बहस पर वादीगण का कब्जा पूर्वजों के समय से होना प्रमाणित होता है। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से वादीगण की खातेदारी की यह जमीन जेर बहस पहले प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता रूधवीरसिंह के नाम तथा उसकी मृत्योपरान्त उसके लड़कों प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के नाम से गलत दर्ज हो गई। जिसे दुरूस्त कर वादीगण के नाम किया जाना न्यायोचित है। अंत में धोषणा

इस अमर की फरमाई जावे कि वादीगण जमीन जेर बहस ख0न0 753 तादादी 1.60 है0, ख0न0 773 तादादी 0.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 है0 वाके ग्राम महनसर के खातेदार काश्तकार है व काबिज है। इसके विपरीत इस जमीन जेर बहस का राजस्व अभिलेख प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 के नाम से गलत जो नल एण्ड वोईड है तथा वादीगण के हकूकों के खिलाफ शून्य व बेअसर है जिसे दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। शेष प्रतिवादी संख्या 1 व 3 नो तो स्वयं उपस्थिति आयो ना ही इनकी तरफ से इनका प्लीडर उपस्थित हुआ। तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी पक्षकार अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने एवं अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। पर्याप्त अवसर देने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब पेश नहीं करने पर इनकी जवाब देही बंद कर आगे की कार्यवाही शुरू की गई।

जवाब देही पूर्ण होने के पश्चात वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी संख्या 2 ने अपना स्वयं का शपथ पत्र (पीडब्ल्यू–1) पेश कर दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 लगायत 10 डाले। तथा वादी संख्या 1/4 पवन कुमार ने अपना शपथ पत्र (पीडब्ल्यू–2) पेश किया साथ ही गौरीशकंर उम्र 55 वर्ष पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी महनसर का शपथ पत्र (पीडब्ल्यू–3) पेश किया। प्रदर्श 1 लगायत 11 का विवरण निम्नानुसार है :–

1. प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2067
2. प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत 2064–67
3. प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल
4. प्रदर्श 4 जमाबंदी सम्वत 2012
5. प्रदर्श 5 जमाबंदी सम्वत 2016–19
6. प्रदर्श 6 जमाबंदी सम्वत 2024–27
7. प्रदर्श 7 जमाबंदी सम्वत 2028–31
8. प्रदर्श 8 जमाबंदी सम्वत 2032–35
9. प्रदर्श 9 जमाबंदी सम्वत 2041–44
10. प्रदर्श 10 गिरदावरी सम्वत 2017–18
11. प्रदर्श 11 नक्शा शीट 1992–93

साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त रहा है। जिसका अकंन गिरदावरी सम्वत 2011–12 में दर्ज है। काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व के कब्जा काश्त होने पर खातेदारी दिये जाने के समर्थन में वादीगण के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 2006 (1)(राज.) पेज नम्बर 52 पेश किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक के हक में राजस्व अभिलेख दुरूस्त फरमाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर वा वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर जमीन ख0न0 753 तादादी 1.60 है0, ख0न0 773 तादादी 0.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 है0 वाके ग्राम महनसर में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोधुराम जाट) 22/3/22
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर